न्यायालय श्रीमान विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम

मेरठ

परिवाद संख्या 24/2020

कैपटाऊन एशोसियेशन बनाम सुपरटैक लिमिटेड

महोदय,

निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2020 को आदेश पारित करते हुये निम्न बिंदुओ पर अपनी आख्या दाखिल करने का आदेश दिया था -

1. सोसायटी मे कुल कितने फ्लैट हैण्डओवर किये गये है।
2. प्रति फ्लैट कुल कितना लोड वितरित किया गया है।
3. मूल रुप से प्रति किलोवाट की दर एवम् प्रति किलोवाट लोड बढाने की दर।
4. पीवीवीएल से उपभोक्ता को के0वी0एच0ए0 अथवा के0डब्लू0एच0 मे की जा रही बिलिंग का विवरण।

माननीय न्यायालय दवारा उठाये गये बिंदुओ की क्रमवार आख्या निम्न प्रकार है -

- **सोसायटी मे कुल कितने फ्लैट हैण्डओवर किये गये है।**

  सोसायटी मे वर्तमान कुल 3328 फ्लैट हैण्डओवर किये जा चुके है।

- **प्रति फ्लैट कुल कितना लोड वितरित किया गया है।**

  जबाबदाता कुल 5,571 किलो वाट लोड वितरित किया जा चुका है।

- **मूल रुप से प्रति किलोवाट की दर एवम् प्रति किलोवाट लोड बढाने की दर**

  इस संबध मे आपको अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2016 को फ्लैट मालिक एवम् जबाबदाता कंपनी की श्री राघवेन्द्र सिंह अधिशासी अभियंता के कार्यालय मे उनकी उपस्तिथि एवम् उनके समक्ष एक मिटिंग हुई जिसमे भी परिवादी की ओर से प्रति किलोवाट अधिक चार्ज वसूल करने की शिकायत की गयी जबाबदाता कंपनी द्वारा विद्युत वितरण मे उसकी ओर से आने बाले समस्त खर्चो के बारे मे अवगत कराया जिसमे सर्वसम्मति से यह निर्णय

लिया गया कि 20,000/- प्रति के0वी0ए0 के दर से जबाबदाता कंपनी लोड बढाये जाने का चार्ज ले सकती है। जिसमे सभी निवासियो की पूर्ण सहमति थी। इस संबध मे अधिशासी अभियंता के कार्यालय से एक पत्रांक संख्या 6126/वि0न0वि0ख0-प्रा0/नोयडा तारीखी 26.10.2016 जारी हुई जिसकी प्रति साथ मे संलग्न है।

- **पीवीवीएल से उपभोक्ता को के0वी0एच0ए0 अथवा के0डब्लू0एच0 मे की जा रही बिलिंग का विवरण।**

इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार किसी भी बिजली का बिल केवीएचए मे तभी संभव है जबकि उपभोक्ता का बिजली का लोड 10 केवीए/केडब्लू से अधिक हो। अत जबाबदाता द्वारा केवीएचए मे की जा रही बिलिंग बिल्कुल ठीक है तथा कानून के दायर मे है।

इस संबध मे आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी रेग्यूलेट्री कमीशन द्वारा जिसमे उनके द्वारा विभिन्न पिटिशन मे रजिस्टर्ड सोसायटी के लिये टैरिफ की दर तय की गयी जिसके अनुसार फिक्स चार्ज 110.00/- रुपये प्रति किलो वाट प्रति माह तथा विजली की दर 7.00/- प्रति किलो वाट तय की गयी जिसमे 5 प्रतिशत तक एडिशनल चार्ज लेने का आदेश दिया। माननीय विद्युत नियमानक कमीशन द्वारा दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश की प्रति साथ मे संलग्न है। जबाबदाता द्वारा वर्तमान मे प्राप्त किये जाने वाले विद्युत बिल का विवरण निम्न है -

Unit Charges=Rs. 7.70/KWH (Rs. 7.00/- + 5% Government Duty + 5% Additional Charges) जोकि नियमानुसार है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने अनुतोष मे विभिन्न प्रकार की मांग की है -

- अनुतोष A एवम् C एवम D एवम् Eएक दूसरे से संबधित है जिस संबध मे स्वयं परिवादी द्वारा स्वीकार किया है कि उसको बिल की कापी दी जा रही है जिस कारण अलग से बिल की कापी देने की आवयश्कता नही है।
- अनुतोष B हैण्डओवर से संबधित है जिस संबध मे अवगत कराना है बिजली का हैण्डओवर मैन्टीनेन्स के हैण्डओवर के साथ ही किया जा सकता है तथा वर्तमान मे परिवादी को

मैन्टीनेन्स हैण्डओवर करने से माननीय सिविल जज (वरिष्ट संवर्ग) गौतमबुद्धनगर द्वारा स्टे आदेश पारित कर रखा है जिसकी प्रति पूर्व मे पत्रावली पर दाखिल है।

- अनुतोष F एवम् L मे शिकायतकर्ता को आडिट रिपोर्ट देने के लिये जबाबदाता बाध्य नही है न ही उसको कानूनन बाध्य किया जा सकता है।
- अनुतोष G एवम् H एवम् I एवम् K एवम् M एवम् O शिकायतकर्ता की मांग बिल्कुल गलत है क्योकि जबाबदाता कंपनी द्वारा उपभोक्ताओ से कोई भी अतिरिक्त चार्ज नही किया है जिस कारण जबाबदाता शिकायतकर्ता को कोई धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नही है। जबाबदाता द्वारा अपने जबाब मे स्पष्ट कर दिया है कि उसको द्वारा प्रति किलोवाट चार्ज एवम् बिजली का चार्ज विभाग द्वारा निर्धारित दर से ही लिया जा रहा है।
- अनुतोष J मे शिकायतकर्ता की मांग बेबुनियाद है क्योकि जबाबदाता कंपनी द्वारा सुचारु बिजली की आपूर्ति हेतु आवयश्क ट्रांसफर पहले ही लगाया जा चुका है। कैपटाऊन निवासियो द्वारा कभी भी बिजली की सप्लाई मे किसी प्रकार की कोई शिकायत नही की गयी है।

इसके अतरिक्त आपको अवगत कराना है कि पक्षकारो के मध्य मैन्टीनेन्स एग्रीमेन्ट निष्पादित हुआ था जिसके क्लाज डी की धारा 12 के अनुसार व्यक्ति मैन्टीनेन्स चार्ज को प्रीपेड सिस्टम मे अदा करेगा। एग्रीमेन्ट की कापी साथ मे संलग्न है। अत शिकायतकर्ता की शिकायत की धारा 3 मे उसका कथन कि प्रीपेड सिस्टम से लेकर फंड मे हेर फेर कर रहा है गलत एवम् अस्वीकार है। जबाबदाता कंपनी

मैन्टीनेन्स एग्रीमेन्ट के अनुपालन मे ही प्रीपेड सिस्टम से मैन्टीनेन्स चार्ज प्राप्त कर रही है। उक्त एग्रीमेन्ट आज तक बदस्तूर जारी है। जिस पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर है।

इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा जबाबदाता कंपनी के विरुद्ध समान अनुतोष पर एक परिवाद संख्या 51-सी/2019 अशोक वर्मा बनाम डारेक्टर मैसर्स सुपरटैक लिमिटेड मे सुनवाई करते हुये दिनांक 10.09.2020 को आदेश पारित किया था। अपने आदेश मे माननीय न्यायालय द्वारा प्रीपेड माध्यम से मैन्टीनेन्स चार्ज को वसूल किये जाने को पक्षकारो के मध्य निष्पादित

[redacted] का आग बताते हुये इस संबध मे परिवादी के द्वारा मांगे गये अनुतोष को खारिज [redacted] न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की प्रति साथ मे संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जबाबदाता कंपनी द्वारा न तो शिकायतकर्ता से किसी प्रकार की [redacted] अतिरिक्त चार्ज बिजली के बिल के रुप मे वसूल किया जा रहा है, न ही प्रति किलोवाट के [redacted] अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जा रहा है तथा समस्त चार्ज विभाग द्वारा निर्धारित टैरिफ [redacted] अनुरुप लिया जा रहा है जैसा कि संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है। अत जबाबदाता कंपनी शिकायतकर्ता को न तो किसी प्रकार की कोई धनराशि लौटाने के लिये उत्तरदायी है तथा न ही अन्य किसी प्रकार का कोई चार्ज लौटाने के लिये जिम्मेदार है। जबाबदाता कंपनी द्वारा समस्त कार्य विभाग द्वारा निर्धारित टैरिफ के दायरे मे ही किया जा रहा है।

अत श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवम् पत्रावली पर दाखिल तथ्यो एवम् दस्तावेजो के आधार पर वर्तमान परिवाद की समस्त कार्यवाही इसी स्तर मे समाप्त/खारिज करने की कृपा करे।

दिनांक

जबाबदाता

(विपक्षी संख्या 1 व 2)

द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

TRUE COPY
20/10/20
(P.A.)
C.G.R.F., Meerut